

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 6420/6035/18/2002.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन रायगढ़ में नगरपालिक निगम, रायगढ़ के गठन के परिणामस्वरूप, राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1) के अनुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक कलेक्टर रायगढ़ को प्रशासक नियुक्त करता है।

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION

No. 6420/6035/18/2002.—As a consequence of constitution of Municipal Corporation, Raigarh at Raigarh under Section 7 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, as per Section 5 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956, hereby appoints Collector, Raigarh as Administrator, with immediate effect till further orders.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.